बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु योजना की स्वीकृति।**

राज्य में आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों/ कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार की माँग और उसके अनुरूप नई तकनीक सुलभ नहीं रहने के कारण परम्परागत तकनीक से उत्पादन एवं विपणन कर रहे हैं जिससे ये प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से उत्पादों का मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें नई तकनीक, अद्यतन तकनीकी के प्लांट/ मशीनरी, पैकेजिंग प्रक्रिया कौशल और गुणवत्ता में सुधार करने की जानकारी उपलब्ध कराने डिजाइन केन्द्र, जाँच केन्द्र, Effluent Treatment Plant, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने जिससे ये अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसके प्रस्तुती को आकर्षक बना सकें, फलतः ग्राहक और अधिक आकर्षक हो सकें, जिससे इन्हें उत्पादों का उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके, के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" के अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" के अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना पर सरकार तथा SPV का अंशदान क्रमशः 90% (अधिकतम सीमा रू० 10.00 करोड़) एवं 10% होगा। विशेष परिस्थिति में यदि कलस्टर के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के हों तो राज्य सरकार के अनुमोदन से CFC के स्थापना हेतु 100% तक अनुदान दिया जा सकेगा।

4. **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के कार्यान्वयन से संबंधित दिशा–निर्देश निम्नवत होंगेः–**

1. योजना के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाएगाः–

i-	जिला पदाधिकारी–	अध्यक्ष
ii-	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र–	संयोजक सदस्य
iii-	जिला योजना पदाधिकारी–	सदस्य
iv-	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक–	सदस्य
v-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
vi-	कलस्टर से संबंधित पंचायत समिति के प्रमुख/ जिला पर्षद के प्रतिनिधि/ माननीय विधायक/ सांसद के प्रतिनिधि–	सदस्य
vii-	डी0डी0एम, नाबार्ड–	सदस्य

vishwanath

2. समिति की बैठक तीन माह में एक बार आहुत की जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से बैठक बुलाई जा सकती है।

यह समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत कलस्टरों के लिए बाजार विकसित कर प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने का कार्य भी करेगी।

Diagnostic Study Report- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने जिला के अंतर्गत कलस्टर को चिन्हित करेंगे तथा डी0एस0आर0 तैयार करेंगे तथा जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे।

समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य स्तरीय समिति को अनुमोदन हेतु भेजेंगे। राज्य स्तरीय समिति महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कलस्टर के विकास का प्रस्ताव की समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान करेगी।

3. उद्योग निदेशालय में निम्नवत गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाएगा:–

(i) उद्योग निदेशक–	अध्यक्ष
(ii) प्रभारी पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय के सहायक निदेशक स्तर के–	सदस्य सचिव
(iii) प्रभारी पदाधिकारी (योजना) उद्योग विभाग–	सदस्य
(iv) निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान	सदस्य
(v) सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) भारत सरकार–	सदस्य
(vi) आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित पदाधिकारी–	सदस्य

योजना क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का स्थानीय समाधान जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा राज्यस्तरीय समाधान राज्यस्तरीय कमिटी द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार राज्यस्तरीय समिति इसके निर्धारित नियम/ प्रावधानों का संशोधन कर सकेगी।

4. प्रोजेक्ट मोनेटरिंग एजेंसी (PMA) का चयन निविदा के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। उक्त PMA के निम्नवत दायित्व होंगे:–

i- SPV का गठन एवं निबंधन,

ii- सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु DPR बनाना,

iii- DPR के अनुमोदन के उपरांत SPV के काम–काज एवं योजना के अंतर्गत SPV को विमुक्त किये जाने वाले राशि की उपयोगिता का समय–समय पर Monitoring करना।

इसके लिए PMA को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की परियोजनाओं की तरह ही सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत का एक प्रतिशत परियोजना विकास एवं कार्यान्वयन शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा। साथ ही CFC की स्थापना एवं SPV को

vishwanath

CFC हस्तांतरित करने के उपरांत परियोजना लागत का एक प्रतिशत PMA को सफलता शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा।

5. राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत PMA द्वारा DPR बनाया जाएगा जिस पर SPV की सहमति आवश्यक होगी। DPR बनाने के उपरांत पुनः जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त कर प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जायेगा। राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के लिए अनिवार्य होगा कि SPV का गठन एवं निबंधन हो गया हो और CFC की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई हो।

सामान्य सुविधा केन्द्र की परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना लागत एवं परियोजना पूरी होने की अवधि निर्धारित होगा।

इस सामान्य सुविधा केन्द्र के परियोजना प्रतिवेदन में CFC संचालन का आवर्त्ती व्यय तथा लाभप्रद का भी स्पष्ट उल्लेख होगा।

जिला स्तरीय समिति इस परियोजना प्रतिवेदन की संभाव्यता एवं लाभप्रद की जाँच कर स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति (उद्योग विभाग) को भेजेगा।

6. DPR पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत राशि चार किस्तों में विमुक्त की जायेगी।

स्वीकृत राशि चार किस्तों में आवंटित की जाएगीः— परियोजना लागत का 10%. 40%, 40% तथा 10%

प्रथम किस्तः— राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात परियोजना लागत का 10% राशि आवंटित की जाएगी।

द्वितीय किस्तः— राज्य सरकार तथा विशेष उपक्रम (एस0पी0भी0) द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रथम किस्त की राशि का 3/4 भाग खर्च होने पर विशेष उपक्रम (एस0पी0भी0) उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य समिति को समर्पित करेंगे। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर द्वितीय किस्त की राशि अर्थात परियोजना लागत का 40% आवंटित की जाएगी।

तृतीय किस्तः— प्रथम किस्त में उपलब्ध कराई गई कुल राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र तथा द्वितीय किस्त की राशि का 3/4 भाग व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र, विशेष उपक्रम (एस0पी0भी0) द्वारा जिला स्तरीय उप समिति के माध्यम से राज्य समिति को समर्पित किया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर 40% राशि आवंटित की जाएगी।

चतुर्थ किस्तः— सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं क्रियान्वित कर अंतिम प्रतिवेदन एवं द्वितीय तथा तृतीय किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति को समर्पित करेंगे तथा जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर शेष 10% राशि का आवंटन दिया जायेगा जिसका व्यय अधिकतम छः माह में कर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। चतुर्थ किस्त की

विमुक्ति से पूर्व समिति यह सुनिश्चित कर लेगी कि कुल परियोजना लागत में SPV का 10% अंशदान प्राप्त है।

7. 2.50 करोड़ तक की परियोजना लागत पर निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जा सकता है। DSR महाप्रबंधक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा DSR जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

समिति के अनुमोदनोपरांत PMA द्वारा DPR बनाया जाएगा जिस पर SPV की सहमति आवश्यक होगी। DPR बनाने के उपरांत पुनः जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के लिए रखा जायेगा। जिला समिति के अनुमोदन के लिए अनिवार्य होगा कि SPV का गठन एवं निबंधन हो गया हो और CFC की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई हो। DPR पर जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत राशि चार किश्तों में विमुक्त की जायगी। विमुक्ति की प्रक्रिया कंडिका 6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगा, परन्तु अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति को ही सक्षम प्राधिकार प्राप्त होगा।

8. जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव हेतु राशि एस0 पी0 भी0 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा दिया जायेगा जो निर्देशानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रगति प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति को समर्पित करेंगे। 2.5 करोड़ रूपये से अधिक परियोजना लागत के संबंध में अनुदान की राशि निदेशक, उद्योग सीधे एस0 पी0 भी0 को देंगे, जो निर्देशानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रगति प्रतिवेदन राज्य स्तरीय समिति को समर्पित करेंगे।

9. इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–104 हस्तकरघा उद्योग, मांग संख्या–23 उप शीर्ष–01 01 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड– P2851001040101 राज्य योजना स्कीम कोड– IND 5442 अंतर्गत संबंधित विषय शीर्ष में उपबंधित राशि अथवा राशि का उपबंध कराकर किया जाएगा।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.08.2013 के मद संख्या 02 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.10.13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 4773 पटना, दिनांक 28 /10 /2013

सं0सं0–2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि प्रकाशित बिहार राजपत्र की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

24/10/13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—4773 पटना, दिनांक 28/10/2013

सं0सं0—2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)—14—13/12

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह० 24.10.13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—4773 पटना, दिनांक 28/10/2013

सं0सं0—2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)—14—13/12

प्रतिलिपि— माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/ उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम, बिहार/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार के अधीन सभी निगम/ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह० 24.10.13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—4773 पटना, दिनांक 28/10/2013

सं0सं0—2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)—14—13/12

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव —सह— वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/ अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कौरपोरेशन लिमिटेड, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0 एस0 एम0 ई0) विकास संस्थान, पटना/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह० 24.10.13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—4773 पटना, दिनांक 28/10/2013

सं0सं0—2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)—14—13/12

प्रतिलिपि— आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय, साथ ही प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भी वेबसाईट पर प्रेषित किया जाय।

ह० 24.10.13

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12–..................– राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों/ कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार की माँग और उसके अनुरूप नई तकनीक, अद्यतन तकनीकी के प्लांट/ मशीनरी, पैकेजिंग प्रक्रिया कौशल और गुणवत्ता में सुधार करने की जानकारी उपलब्ध कराने डिजाइन केन्द्र, जाँच केन्द्र, Effluent Treatment Plant, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने, जिससे ये अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसके प्रस्तुती को आकर्षक बना सकें, फलतः ग्राहक और अधिक आकर्षित हो सकें, जिससे इन्हें उत्पादों का उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके, के उद्देश्य से उद्योग विभाग के संकल्प सं0 4773 दिनांक 28.10.2013 द्वारा "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" के अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना की स्वीकृति, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु निम्नबत राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:–

(i) उद्योग निदेशक–	अध्यक्ष
(ii) प्रभारी पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय के सहायक निदेशक स्तर के–	सदस्य सचिव
(iii) प्रभारी पदाधिकारी (योजना) उद्योग विभाग–	सदस्य
(iv) निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान	सदस्य
(v) सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) भारत सरकार–	सदस्य
(vi) आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित पदाधिकारी–	सदस्य

2. उक्त समिति महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्राप्त जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में कलस्टर के विकास का प्रस्ताव की समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान करेगी।

3. उक्त समिति द्वारा योजना क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का राज्यस्तरीय समाधान किया जायेगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–10 पटना, दिनांक 02/01/2014
2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–......10...... पटना, दिनांक 02/01/2014
2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) भारत सरकार/ सभी जिला पदाधिकारी/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–......10...... पटना, दिनांक 02/01/2014
2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–2 / उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13 / 12–..................– राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रक्षेत्र से जुड़े उद्यमियों / कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार की माँग और उसके अनुरूप नई तकनीक, अद्यतन तकनीकी के प्लांट / मशीनरी, पैकेजिंग प्रक्रिया कौशल और गुणवत्ता में सुधार करने की जानकारी उपलब्ध कराने डिजाइन केन्द्र, जाँच केन्द्र, **Effluent Treatment Plant**, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चा माल डिपो की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने, जिससे ये अपने उत्पाद की गुणवत्ता एवं उसके प्रस्तुती को आकर्षक बना सकें, फलतः ग्राहक और अधिक आकर्षित हो सकें, जिससे इन्हें उत्पादों का उचित एवं वांछित लाभ प्राप्त हो सके, के उद्देश्य से उद्योग विभाग के संकल्प सं0 4773 दिनांक 28.10.2013 द्वारा "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना" के अंतर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है:–

i-	जिला पदाधिकारी–	अध्यक्ष
ii-	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र–	संयोजक सदस्य
iii-	जिला योजना पदाधिकारी–	सदस्य
iv-	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक–	सदस्य
v-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि	सदस्य
vi-	कलस्टर से संबंधित पंचायत समिति के प्रमुख / जिला पर्षद के प्रतिनिधि / माननीय विधायक / सांसद के प्रतिनिधि–	सदस्य
vii-	डी0डी0एम, नाबार्ड–	सदस्य

2. समिति की बैठक तीन माह में एक बार आहुत की जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से बैठक बुलाई जा सकती है।

3. उक्त समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कार्यरत कलस्टरों के लिए बाजार विकसित कर प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने का कार्य भी करेगी।

4. योजना क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का स्थानीय समाधान जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(हस्ताक्षर)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–15 पटना, दिनांक 02/01/2014

प्रतिलिपि– प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

(हस्ताक्षर)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

vishwanath

ज्ञापांक–.......15.......   पटना, दिनांक 02/01/2014

2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, विभाग, बिहार, पटना/ पंचायती राज विभाग, विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना/ संयोजक, राज्य स्तरीय बेंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ डी0डी0एम, नाबार्ड/ अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–.......15.......   पटना, दिनांक 02/01/2014

2/उ0नि0विविध(कलस्टर विकास)–14–13/12

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

vishwanath